



क्रमांक:— निसंशि / संरथा—1 / पं. विद्या संबल योजना / 61 / राजकाज नं 1050 / 2024 /

दिनांक:

प्राचार्य/ कार्यवाहक प्राचार्य  
समस्त राजकीय आचार्य/ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय  
राजस्थान।

विषय:— विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के क्रम में लेख हैं कि “विद्या संबल योजनान्तर्गत” पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2025 तक जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। योजनान्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की Enabling Scheme है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष पूर्व रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष/विषय विशेष में Enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आकलन कर आवश्यकतानुसार विद्या संबल योजना में दी गई प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुये आमंत्रित शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे –

1. सत्र 2024–25 में सत्र प्रणाली के अन्तर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2025 तक जो भी पहले हो तक ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं। जिन महाविद्यालय में सत्र प्रणाली लागू नहीं हैं तो आवश्यकतानुसार सेमेस्टर प्रारम्भ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।
4. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जांच किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी हैं तथा पैनल की जांच एवं अनुमोदन, आयुक्त/ संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

**Signature valid**

RajKaj Ref  
9164833



Digital signed by Vijay Pal Singh  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.23 17:11:30 IST  
Reason: Approved



5. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा “विद्या संबल योजना” के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक गेस्ट फैकल्टी को सत्र 2024–25 में प्रति घंटा के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:—

प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे	अवधि
800/-	14 घंटे	पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2025 तक जो भी पहले हो तक

(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जावे।

6. विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त योजना शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 07 “यह हैं कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया हैं कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2025 तक जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए हैं मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।” तथा बिन्दु संख्या 08 “इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।” के अध्यधीन रहेगी।
8. नियमित नियुक्ति/स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
9. यदि किसी महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी लगाने के विषय में कोई संशय उत्पन्न होता है तो आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा से अनुमोदन उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
10. रिक्त पदों की सूचना (जिन पर गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की जानी है) समाचार—पत्र, महाविद्यालय की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगरपरिषद/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जावेगी।

RajKaj Ref  
9164833

Signature valid

Digitally signed by Vijay Pal Singh  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.23 10:11:30 IST  
Reason: Approved



विद्या सबल गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य दिनांक 08.08.2024 तक पूर्ण कर लेवे तथा दिनांक 12.08.2024 से जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य शुरू होना है, उनमें आवश्यकतानुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 14.08.2024 से आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

**संलग्न :-**

- वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पं.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023
- पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मापदण्ड
- गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने का प्रारूप
- गेस्ट फैकल्टी से लिया जाना वाला शपथ पत्र
- संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवानियम 2022

(विजय पाल सिंह)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- वेब साईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- समस्त प्राचार्य, राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त  
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
9164833

Signature valid

Digitally signed by Virender Pal Singh  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.23 10:11:30 IST  
Reason: Approved



**विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिये वरीयता के मापदंड**

क्र. सं	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
1	शास्त्री/स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =21)	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम =19	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम =16	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम =10
2	आचार्य/स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =25	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असपन्न वर्ग) / शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यार्थियों के मामले में 50 प्रतिशत )से और 60 प्रतिशत से कम =20	
3	एम.फिल.	60 प्रतिशत और उससे अधिक =7	55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम =05		
4	पीएच.डी.	25			
5	जेआरएफ सहित नेट	10			
	नेट	08			
	स्लेट या सेट	05			
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	06			
7	शिक्षण/पोस्ट डॉकटोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)	10			
8	पुरस्कार				
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत	03			

**Signature valid**

**RajKaj Ref  
9164843**



Digitally signed by **Vijay Pal Singh**  
Designation: **Commissioner**  
Date: 2024.07.23 14:11:28 IST  
Reason: **Approved**



सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	
राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से छाटा दिया जाएगा।

- (क) (i) एमफिल पीएचडी
- (ii) जे आर एफ/नेट/सेट
- (iii) अवार्ड की श्रेणी में

- अधिकतम—25 अंक
- अधिकतम—10 अंक
- अधिकतम—03 अंक

(विजय पाल सिंह)  
 आयुक्त  
 संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
9164843

Signature valid

Digitally signed by Virender Pal Singh  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.23 14:11:28 IST  
Reason: Approved



### आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. आवेदित महाविद्यालय का नाम :-
4. आवेदित पद एवं विषय का नाम :-
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि :-
6. जन्म तिथि :-
7. शैक्षणिक योग्यता :- 1. आचार्य/अधिस्नातक (विषय.....)वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....
8. अन्य योग्यताएँ :- 1. ....उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....  
2. ....उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....  
3. ....उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न.....
9. सेवानिवृत्त कार्मिक की स्थिति में पीपीओ नम्बर व सेवानिवृत्ति के समय धारित पद.....संलग्न.....
10. निवास का पता :- 1. स्थाई पता :- .....  
.....  
.....  
2. वर्तमान पता :- .....  
.....  
.....

फोटो

11. मोबाइल नम्बर :-.....ई—मेल :- .....
  12. जाति :- .....
  13. अन्य (विकलांग/भूपूसैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन).....संलग्न.....
  14. मूल निवास प्रमाण पत्र.....संलग्न
  15. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त).....संलग्न .....
- आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची मय कम संख्या (स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

## प्रारूप

### शपथ-पथ

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री.....  
विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को  
गैरस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपरिथिति दे रहा हूं/ दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/ संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....  
के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित  
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)  
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/ साविलेनि/ 2021 दिनांक.....को  
अच्छे से पढ़/ समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं  
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख  
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन  
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,  
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं  
यदि जांच के दौरान कूटरचित/ फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे  
गैरस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के  
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही  
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं  
करूंगा/ करेंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार  
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/ करेंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/  
करती हूं तो संस्था एकत्रफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय—समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी रथानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि जिम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता  
सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता



राजस्थान सरकार  
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021

जयपुर, दिनांक : ०७.०४.२०२३

### परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये “विद्या संबंध योजना” के संबंध में।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :—

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
ग्रेड—I	1 से 8	300/-	18 घंटे
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	18 घंटे
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	18 घंटे
अनुदेशक	—	300/-	18 घंटे
प्रयोगशाला सहायक	—	300/-	18 घंटे

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
सहायक आचार्य	800/-	14 घंटे
सह आचार्य	1000/-	13 घंटे
आचार्य	1200/-	12 घंटे

(अ) पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने की अवधि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारित की जा सकेगी।

.....2

- (ब) प्रति सप्ताह लिये जाने वाले अधिकतम कालांश की सीमा निर्धारित की गयी है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर इससे कम कालांश में भी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सकता है।
- (स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान भी किया जावे।"

पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

  
(रोहित गुप्ता)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाधीक/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त। 7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी समस्त।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
10. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजदार लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की ऐडसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

  
(मनौष माथुर)  
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - ०४/ 2023)



राजस्थान सरकार  
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : ३०-०३-२०२१

### परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों—विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैरिक फैकल्टी के रूप में लेने के लिये “विद्या संबल योजना” के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए “विद्या संबल योजना” लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :—

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावशक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैरिक फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैरिक फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैरिक फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैरिक फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
4. गैरिक फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :
  - (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैरिक फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

## (ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैरस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- III. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिवित के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

## 5. गैरस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

## विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड—III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड—II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड—I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	—	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	—	300/-	21000/-

## विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैरस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैरस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।



( डॉ. पूर्णीमा )

शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑफिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभानीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपायन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।



(विमल कुमार गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - ०६ /2021)

## प्रारूप

### शपथ—पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .....  
विभाग ..... (संस्थान का नाम) में दिनांक ..... को  
गैरिकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने ..... विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक ..... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक ..... को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गैरिकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगा / करूँगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूँगा / करूँगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ / करती हूँ तो संस्था एकत्रफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूँगा/करूँगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैर्स्ट फैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैर्स्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूँगा/करूँगी।
12. यह कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैर्स्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूँगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

### सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूँगा।

शपथग्रहिता